संख्या-एफ. 8(4)-संस्था० III/8?

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1985

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- इत्तर सेवा के दौरान देय पेंशन की लागत के सम्बन्ध में मासिक अंशदान की संगणना ।

मुझे इस मंत्रालय के 25.1.80 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ. 8(4)-संस्था० III/79 का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि इन आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी के इत्तर सेवा की सक्रिय अवधि के दौरान उस के सम्बन्ध में पेंशन अंशदान के दरों की गणना, उस पद के सम्बन्ध में, जिस पर वह इत्तर सेवा पर जाते समय था अथवा जिस पर उसे इत्तर सेवा में रहते हुए प्रोफार्मा पदोन्नति मिले, मूल नियमावली के नियम-9(21)में यथा-परिभाषित वेतन के अधिकतम तथा इस मंत्रालय के 25.5.1979 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ. 19(4)-संस्था० IV/79 में यथानिर्दिष्ट ऐसे अधिकतम के अनुरूप मंहगाई वेतन पर आधारित हैं ।

2. अतिरिक्त मंहगाई भत्ते के एक भाग को वेतन के रूप में मानने के सम्बन्ध में इस मंत्रालय के 8.4.82 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1(3)-संस्था०-V/82 के जारी होने के परिणामस्वरूप, इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी करने का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन रहा है और राष्ट्रपतिजी ने यह निर्णय किया है कि सरकारी कर्म-चारी के इत्तर सेवा की सक्रिय अवधि के दौरान उस के सम्बन्ध में देय पेंशन सम्बन्धी अंशदान अब उस पद के सम्बन्ध में, जिस पर वह इत्तर सेवा पर जाते समय था, अथवा जिस पर उसे इत्तर सेवा में रहते हुए प्रोफार्मा पदोन्नति मिले, मूल नियमावली के नियम 9(21) में यथा-परिभाषित और इस मंत्रालय के 29.7.82 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-एफ. 8(9)-संस्था III/81 में यथा-निर्दिष्ट वेतन के अधिकतम पर तथा इस मंत्रालय के 8.4.1982 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-एफ. 1(3)-संस्था० V/82 में यथानिर्दिष्ट ऐसे अधिकतम के अनु-रूप महंगाई वेतन पर आधारित होना चाहिए ।

3. ये आदेश इत्तर सेवा के उन मामलों पर लागू होंगे जो उनके जारी होने की तारीख के बाद शुरू हों। पिछले मामलों के सम्बन्ध में ये आदेश इत्तर सेवा की वर्तमान समय अवधि में किसी भी वृद्धि की स्थिति में ऐसी समय-अवधि में वृद्धि की तारीख से अथवा जहां प्रतिनियुक्ति इन आदेशों के जारी होने की तारीख से एक वर्ष के बाद अनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो, लागू होंगे ।

...2/.

4. जहाँ तक भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का सम्बन्ध है ये आदेश भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षाक से परामर्श करके जारी किए गए हैं।

(एस० कुमार)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवामें,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि (
(प्रतिलिपि अंग्रेजी पाठ के अनुसार प्रेषित)